21वीं सदी में नारी शक्ति लाचार क्यों है

डॉ. अनिल सूर्यवंशी एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजूकेषन

नेहरू पीजी कॉलेज ललितपुर

प्रस्तावना

यह बात तो सो प्रतिशत सत्य है कि भारतीय समाज में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान पूजा जाता है परन्तु महिलाओं के प्रति नकारात्मक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता भारत में गुजरते एक एक पल में महिलाओं का शोषण हो रहा है फिर भी चाहे वह मां हो बेटी हो बहन हो पत्नी हो या 5 से 7 साल की छोटी बच्ची क्यों ना हो हर जगह नाबालिक लड़कियों से छेड़छाड़ की जा रही है उन्हें परेशान किया जा रहा है राह चलते परेषान किए जा रहे हैं सार्वजनिक स्थल रेल बस आदि में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है स्कूल तथा कॉलेज जाने वाले छात्र–छात्राएं भय के साए में जी रहे हैं जब भी वह घर के बाहर निकलते हैं तो सिर से लेकर पैर तक ढकने वाले कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ता है इससे भी अजीब बात तो यह है कि यदि कई जगह पर ऐसे भी देखा गया है कि मां–बाप पैसे के लालच में अपने ही बेटियों से वेश्यावृत्ति में धकेलने का कार्य भी कर रहे हैं लड़कियों पर तेजाब फेंकना शारीरिक संबंध की इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी अपराध करना आम बात हो गई है आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक औरत का बलात्कार हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरी हालत है बलात्कार के आरोपी कई बार जान पहचान वाले या घर की ही कोई सदस्य निकलता है लडकियो को दहेज के लिए जलाया जाना सास ससुर द्वारा पीटा जाना जैसी घटनाएं तो रोजमर्रा की बात हो गई है निर्भय सामूहिक बलात्कार कार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई और घटना नहीं हुई है उसके बाद भी इस तरह के कई कांड हो चुके हैं जो एक दुखद घटना के रूप में व्याप्त है आज महिलाओं की संख्या पूरे देश की आधी के लगभग जनसंख्या इसका मतलब वह देश के विकास में पूर्ण भागीदारी निभा रही हैं उसके बावजूद भी 21वीं सदी में हिंदुस्तान में ऐसी घटना का होना हमारी संस्कृति को शर्मसार कर रहा है

आश्चर्य की बात है कि मदर टेरेसा कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू जैसे देश में बालिकाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं वह उनके साथ भेदभाव किया जाता है सच तो यह है कि बालिका ही मां बनकर पूरे परिवार का लालन पालन करती है एक बालिका को शिक्षित करने में पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है और मानवीय गुणों को अपनाता है

कन्या भ्रुण हत्या समाज की सर्वाधिक विषाक्त बुराइयों में से एक है

बालिकाओं का शोषण व कन्या भ्रुण हत्या समाज की सर्वाधिक विषाक्त बुराइयों में से एक है और सच तो यह है कि 21वीं सदी में इस दौर में भी हमारा देश और दुनिया के कई अन्य देश भी इस तरह की बुराई से उबर नहीं पाए जिसका एक प्रमुख कारण अशिक्षा भी है बेटियों को आज भी वैश्विक युग की आवश्यकता के अनुकूल उच्च तकनीकी तथा आधुनिक शिक्षा दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें जी–जान से कोशिश करना चाहिए अभी नहीं तो कभी नहीं की भावना हमेशा रखना चाहिए और लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाकर लड़को की तरह पालन पोषण कर मां–बाप को इस ओर आकर्षित होना चाहिए

बालिकाओं की लगातार घटती हुई जनसंख्या अत्यंत चिंतनीय विषय है

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालिकाओं के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं इन आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी में 50 मिलियन वाली खबर महिलाओं की गिनती ही नहीं है प्रत्येक वर्ष पैदा होने वाले 12 मिलियन लड़कियों में से एक मिलियन अपना पहला जन्म दिन नहीं देख पाते हैं 4 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की मृत्यु दर बालकों से कई गुना अधिक है 5 से 9 वर्ष की वर्ष की 53: बालिका अनपढ़ हैं 4 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं में चार में से एक ही साथ दुर्व्यवहार होता है गर्भ मे पल रही बच्ची 20 प्रतिषत अधिक बच्ची की मृत्यु लिंग भेद के कारण होती है इसके सबसे पीछे मुख्य कारण अभिभावकों की गलत धारणा भी है कि लड़कों में से उनका वंश आगे बढ़ता है

लड़कियों को प्राथमिकता कम और लड़कों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है माता–पिता लड़का लड़कियों में एक फर्क समझते हैं जो इस आधुनिक युग के लिए एक अभिशाप है

भ्रुण हत्या मानव जाति पर एक कलंक है

स्त्री पुरुष का निरंतर घटना अनुपात आने वाले भयानक संकट की ओर संकेत कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जो संवेदनशील है वह भ्रुण हत्या जैसी जघन्य अपराध से विचलित हुए बिना नहीं रह सकता यदि पुरुष के बिना मानव जाति की प्रगति संभव नहीं है तो इस तरीके बिना भी मानव जाति का अस्तित्व नहीं बचाया जा सकता यदि स्त्री को मां के गर्भ में ही भ्रुण के रूप में मारा जाता है तो संसार में इसी जाति का अस्तित्व कैसे बचेगा यदि स्त्री को बचाना है तो स्त्री भ्रुण को मारे जाने से बचाना होगा लड़का और लड़की जैसे लिंग भेद की मानसिकता को यदि अभी नही बदला हो वह दिन दूर नहीं जब मां बेटी बहन पत्नी के रूप में स्त्री मिलना मुश्किल हो जाएगी स्त्री तो देवी है स्त्री मातृव शक्ति है जो मानव जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती जा रही है किसी ने सही कहा है मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी रहेगा कौन प्रसव वेदना झेलेगा कौन बच्चो का लालन–पालन कौन करेगा दुख दर्द कौन सहेगा। विश्व में जिन देशों ने महिला शक्ति को शक्ति को पहचाना है उन देश का तेजी से चौमुखी विकास हो रहा है आज हमें भी महिला शक्ति को पहचानना होगा और उन्हें पुरुषों के समान ही सम्मान दिया जाना होगा तभी हमारे देश का चौमुखी विकास होगा

भ्रुण हत्या मानव जाति पर एक कलंक है स्त्री पुरुष में निरंतर बढ़ता हुआ अनुपात आने वाले भयंकर संकट की ओर संकेत कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो संवेदनशील है भ्रुण हत्या जैसे जघन्य अपराध से विचलित हुए बिना नहीं रह सकता यदि पुरुष के बिना मानव जाति प्रगति संभव नहीं है तो स्त्री के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं बचाया जा सकता यदि बच्ची को मां के गर्भ में ही भूमि के रूप में हैं मार दिया जाता है तो संसार में स्त्री जाति का अस्तित्व कैसे बच जाएगा तो स्त्री भ्रुण को मारने जाने से बचाना होगा लड़का और लड़की जैसी लिंगभेद की मानसिकता को लेकर यदि इस प्रकार से मारा जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे पास ना मां होगी ना बेटी होगी ना बहन होगी हम स्त्री के लिए तरसने लगेंगे स्त्री तो जननी है स्त्री का दर्द ही तो हमारी मातृ शक्ति है जो मानव जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है किसी ने सही कहा है कि मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी क्या रहेगा कौन प्रसव का दर्द झेलेगा कौन हमारा लालन पालन करेगा कौन हमारे दुख को दूर करेगा यह सभी चीजें एक भयंकर तूफान की ओर अग्रसर कर रही हैं हमें चाहिए इस तरह की घटनाओं के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा तभी यह संभव है कि जो भ्रुण हत्या जो स्त्री के लिए एक अभिशाप बन रही है उसे रोका जा सके

21वी सदी में महिला सुरक्षा

महिला की सुरक्षा अपने आप में एक व्यवस्था है उसे पिछले कुछ सालों में महिलाओं के लिए बढ़ती घटनाओं को अत्याचार को देखते हुए उन्हें बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिला पूर्ण रूप से सुरक्षित है वरना अपने आप को असुरक्षित असाहय महसूस कर रही हैं हमारे देश में महिलाओं को भय में जीना पड़ रहा है 21वीं सदी सदी में हमारी महिलाओं भाय के साए में जीना पड़ रहा है जो हमारे लिए शर्म की बात है आज के समय हर परिवार के लिए महिला सदस्य की सुरक्षा को को चिंता का मुद्दा बन चुका है अगर महिला सुरक्षा में कुछ सुधार करना हो तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं लेकिन जो उनका कढाई से पालन करना होगा आधुनिक 21वीं सदी में जो घटनाएं बढ़ रही हैं वह आज भी चिंता का विषय बनी है ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कानून नहीं बने हैं बहुत सारे कानून बनाएंगे लेकिन फिर भी आज 21वीं सदी में हमारा समाज किस ओर जा रहा है यह सोचने का विषय है जिस प्रकार से घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं जो हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है

महिला सुरक्षा से जुड़े कानून

महिला से जुड़े सुरक्षा के लिए कुछ अच्छे कानून बनाये गये है कानून भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून की लिस्ट बहुत लंबी है जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1807, 56, इंडियन पेनल कोड 1807, मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट आफ मैरिज एक्ट 1969, इंडियन 89, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट मुस्लिम विमेन प्रोटक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमिशन फॉर वुमन एक्ट 1990 सेक्सुअल हैरेसमेंट आफ विमेन अट वर्कप्लेस एक्ट 2013, इसके अलावा 7 मई 2015 को लोकसभा में और 20 मई 2015 को राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया गया है इसके अंतर्गत यदि कोई 16 से 18 साल की किशोर जगन ने अपराध से लिप्त पाया जाता है तो उसे कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है खासतौर पर निर्भय जैसे केस में किशोरी अपराध में किसी प्रकार की छूट जाने दिए जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है

महिला सुरक्षा से जुड़े कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं

1.सबसे पहले हर महिला को हाथ में रक्षा करने की तकनीक सिखाना होगी तथा उनके मनोबल को ऊंचा करने की जरूरत है इससे महिलाओं में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी

2. अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं की स्थिति की गंभीरता को किसी भी पुरुष के बजाय जल्दी बाप लेती है अगर उन्हें किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका लगती है तो उन्हें जल्दी से कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए 107,100 नं. व एवं घर के नं. पर डायल करना चाहिए

3. महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी अनजान पुरुष के साथ अकेले में कहीं ना जाए ऐसे हालात में उन्हें अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना चाहिए नंबर

4 महिलाओं को कभी भी अपने आप को पुरुष से कम नहीं समझना चाहिए फिर चाहे वह मानसिक क्षमता की बात हो या शारीरिक बल की बात हो

5. महिला को कभी भी अपने आप से महिलाओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वह इंटरनेट पर किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा किसी भी तरह की अनजान व्यक्ति से बातचीत करें न किसी भी प्रकार से चौट करें इन चीजों से भी उसे बचना चाहिए

6. महिलाओं को घर से बाहर जाते वक्त हमेशा अपने साथ मिर्च विभिन्न प्रकार के स्प्रे जो आजकल मार्केट में आसानी से उपलब्ध है ऐसी चीजें जरूर साथ में ले जाना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके अब आपको विपरीत परिस्थितियों में घिरते देख महिलाओं को अपने को या किसी भी परिवार के नंबर हमेशा अपने पास रखना चाहिए

7. किसी भी अनजान शहर के होटल या अन्य जगह हो तो स्टाफ के लोग घर के लोगों को हमेशा इस चीज की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में परिवार का सहयोग लिया जा सके

8. आजकल इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप और भी अन्य ग्रुप है उसमें सतर्कता से अपने फोटो विडियो और अपनी परसनल जानकारी न भेजे जिन पर पूर्ण विष्वास हो या जिन्हे हम जानते है उन्ही को भेजे क्योकि आज कल लोग झुठी आई डी के जरये फेसबुक व्हाट्सएप एवं टिवीटर एवं अन्य ऐप के जरिये दोस्ती करने का प्रयास करते है और दोस्ती करके ब्लेक मेल का कार्य करते है जिन्हें महिला सुरक्षा के लिए घातक बताया जा रहा है

महिलाओं को चाहिए कि आज इलेक्ट्रॉनिक जमाना है तो कम से कम अपने फोटो इमेज विडियो परिवार के फोटो इंटरनेट पर कम यूज करें और कम से कम दोस्त बनाएं जिनको आप पहचानते हो और परिवार से जुड़े ऑफिस के लोग हैं उन से जोड़ने की कोशिश करें अनजान व्यक्तियों को ना अपनी आईडी दे ना अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर उन्हे जोड़ें क्योंकि आज के इस आधुनिक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ज्यादा हो रहा है जो महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की घटक के रूप में साबित हो रहा है कई महिलाओं को इसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है और उन्हें अपराध के धंधे में लिप्त किया जाता है इन चीजों से महिलाओं को हमेशा बचने का प्रयास किया जाना चाहिए

निष्कर्ष

सुरक्षा एक सामाजिक मसला है इसे जल्दी से जल्द सुलझाने की जरूरत है महिला हमारे देश की आधी जनसंख्या के लगभग है लेकिन आज भी हमारे देश की महिला मानसिक और सामाजिक रुप से पीड़ित हैं जो देश के विकास में एक बाधा की स्थिति बनी हुई है महिलाओं के लिए कानून कठोर बनाने के बावजूद भी महिला अपराध में कमी के बजाय दिन प्रतिदिन उछाल देखने को मिल रहा है समाज में महिलाओं की सुरक्षा गिरती जा रही है महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाओं के लिए गंदे माहौल को बदलने के लिए सरकार और हम सब को विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करना होगा आज किस सदी में हमारी महिला सुरक्षित नहीं है जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है हमें 21वी सदी में महिलाओं को ऐसी सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए महिला भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके जहां चाहो वहां जा सके उसे कोई रोक–टोक ना हो और वह स्वतंत्र अपना जीवन यापन कर सकें

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, एस पी. –उच्चतर षिक्षा मनोविज्ञान
2. डा. प्रभा खेतान, स्त्री विमर्ष के अन्तर्विरोध, हंस, सितम्बर, 1996
3. डा. षषि षेखर, महिला सषक्तिकरण और भारत
4. कुमार स्वामी ए.के., द स्टेट ऑ हिन्दू वूमेन, एषिया पब्लिकेषन मुम्बई
5. गृहषोभा जनवरी 2006
6. सामाचार पत्रों एवं पत्र,पत्रिकाओ के लेख
7. स्वयं का अनुभव एवं सर्वेक्षण